1|22 पत्रावली पेश हुई। वाकुलाय उपस्थित
बहस प्रार्थना सुनी गयी।
पत्रावली वास्ते आदेश हेतु
दिनांक 7|1|22 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा (बाड़मेर)

7|1|22 पत्रावली पेश हुई। वाकुलाय उपस्थित
आदेश जुर्माना लिखवाया जाकर
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया गया। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा (बाड़मेर)

1|22 पत्रावली प्रार्थी के वकील के आवेदन
पेश करने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र धारा 151, 152 CPC
का स्वीकार कर लिपिकीय त्रुटि
दुरुस्त कर संशोधित आदेश जारी
किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :— 20/2021

प्रार्थीगण :—

1. आईदानराम पुत्र भमुताराम
2. श्री पूनमाराम पुत्र आईदानराम
3. रामलाल पुत्र आईदानाम
4. शैतानराम पुत्र आईदानराम
5. किशोर कुमार पुत्र आईदानराम
6. शायरीदेवी पुत्री आईदानराम
7. कलुदेवी पुत्री आईदानराम
8. पारसी पुत्री आईदानराम
9. देवाराम पुत्र भमुताराम
10. सोहनीदेवी पत्नी हडमानराम सभी जातियान विश्नोई निवासी विरधाणियों की ढाणी,(खारवा) तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. सवाईसिंह पुत्र उम्मेदसिंह राजपूत
2. सावंलराम पुत्र चिमनाराम राईका
   2/1. हरीराम पुत्र सांवलराम
   2/2. गीता पुत्री सांवलाराम
   2/3. मगाराम पुत्र सांवलराम
   2/4.कानु पुत्री सांवलराम
   2/5. दाखुदेवी पत्नी सांवलाराम जाति राईका निवासी खारवा
3. गिरधारीराम पुत्र चिमनाराम राईका
4. भाखरराम पुत्र चिमनाराम राईका
5. छैलसिंह उर्फ सोंगसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
6. भूपेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
7. मगनकवंर पत्नी मनोहरसिंह राजपूत
8. पूजा कंवर पुत्री मनोहरसिंह राजपूत
9. माधोसिह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
10. शान्तिदेवी पत्नी भाखराराम देवासी
11. शान्तिदेवी पत्नी गिरधारीराम देवासी
12. रामाराम पुत्र दुर्गाराम जाति देवासी
13. शंकरराम पुत्र दुर्गाराम देवासी
14. जीवाराम पुत्र दुर्गाराम देवासी
15. दाखुदेवी पत्नी सांवलराम देवासी निवासी खारवा तह पचपदरा
16. सोहनसिंह पत्नी उगमसिंह जाति राजपूत निवासी धीरा तह सिवाना।
17. शाखा प्रबन्धक एस बी आई बैंक शाखा [illegible]
18. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा [illegible] ।

उप खण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टेनेन्सी एक्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Son
Date: 2022.09.17 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्तागण :—1 श्री अचलाराम चौधरी प्रार्थीगण वकील
2. श्री बाबूलाल सांखला विप्रार्थीगण संख्या—7 के वकी[illegible]
3. श्रीउम्मेदसिंह चम्पावत विप्रार्थीगण वकील—3,6,9,13 के वकील

उप खण्ड अधिकारी

दिनांक :– 7.01.2022

आदेश

प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, प्रार्थीगण के खातेदारी सरहद मौजा विरधाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 185 रकबा 100.06 बीघा के लिए मौजा खरवा पटवार क्षेत्र कांकराला खेत खसरा संख्या 183, 289/191, 288/191 मे से खसरा संख्या 292/191 (सड़क) तक प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अ.ब.स. अनुसार रास्ता हमारी भूमि का उपयोग करने के इरादे से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रर्थीगण संख्या 3,5,6, 9 व 16, 17 के वकील उपस्थित। तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट दिनांक क्रमांक/राजस्व/2020/814 दिनांक 27.4.2021 को पेश हुई। विप्रार्थीगण संख्या 3, 6, 9, 16 की और से प्रार्थना पत्र का जबाब एवं प्रार्थना पत्र 151 सी. पी.सी के आपत्ति प्रस्तुत का पेश कर जाहिर किया कि दिनांक 04.4.2021 को हल्का पटवारी कांकारला व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर गलत व मनगढत रिपोर्ट बनाकर पेश की है ,खसरा संख्या 289/191, 288/191 में कोई भी रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है परन्तु उनके द्वारा मौका रिर्पाट के अन्तिम पैरा में आवागमन का रास्ता होना बताया है व मौके पर विध्यवान आवासीय ढाणीया विधमान है । अतः विप्रार्थीगण द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया । पक्षकारन वकील की मौका रिपोर्ट की बहस सुनी गयी । नायब तहसीलदार कल्याणपुर को दिनांक 5.07.2021 को तहरीर जारी कर स्वंय मौके की वस्तुस्थिति की जांच करने एवं निकटतम रास्ते का विवरण अंकित कर मौका रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिये गये। विप्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10 का सीपीसी का पेश किया, जिसकी प्रति प्रार्थीगण वकील को दिलाई गई। [illegible] वकील ने दिनांक 21.07.21 को मृतक विप्रार्थी संख्या 09 सांवलराम [illegible] कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र कर कायम मुकाम को अभिलेख पर लेने का निवेदन किया गया । पक्षकारान वकील की बहस को सुना गया । विप्रार्थी संख्या सांवलराम को रेकर्ड अभिलेख में लिया गया।

उप खण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

उपतहसीलदार कल्याणपुर से मौका रिपोर्ट दिनांक 14.7.2021 को तैयार कर जरिये पत्र कमांक /राजस्व/2021/187 दिनांक 16.7.201 को पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार कल्याणपुर के द्वारा मौका रिपोर्ट मे जाहिर किया गया कि खसरा संख्या 185 ग्राम विरधारियों के ढाणी में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी भूमि है । आशिंक नक्शा ट्रेस मौजा विरधारियों की ढाणी के खसरा न0 184, 185, 186,190 में विकल्प संख्या–1, विकल्प संख्या–2 व विकल्प संख्या –3 में प्रस्तावित रास्ता पेश किया गया मे जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 290/91 रकबा 40–00 बीघा, 288/91 रकबा 81–10 बीघा भूमि में विकल्प संख्या–1 में प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 25 गठा है जो कि अन्य की खातेदारी भूमि है। उक्त खातेदारान रास्ता देने हेतु सहमत नहीं व खसरा संख्या 288/191 दो भागों में विभाजित होता है। विकल्प संख्या –2 में प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 365 गठा है जिसमें से खसरा संख्या 183 व 185 में 190 गठा के खातेदार रास्ता देने हेतु सहमत है किन्तु खसरा संख्या 289/191 व 288/191 में 175 गठा के खातेदार रास्ता देने हेतु असहमत है। विकल्प संख्या –3 जहां प्रार्थी वर्तमान में आवागमन हेतु रास्ते का उपयोग करता है इसमें प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 700 गठा है जिसमें 390 गठा ओरण भूमि है जो प्रतिबंधित भूमि है व शेष 310 गठा अन्य की खातेदारान की भूमि है जो रास्ता देने हेतु असहमत है।

प्रार्थीगण द्वारा विकल्प संख्या –2 अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु कम संख्या 1 व 2 के खातेदार सहमत होना बताया गया। जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 290/91 रकबा 40–00 बीघा, 288/91 रकबा 81–10 बीघा किस्म बा0 अव्वल खातेदारी भुमि राजस्व रेकर्ड दर्ज है। उक्त भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भुमि नहीं है। प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 20322/–रूपये प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा 1–15 बीघा, 01–10 बीघा व 0–03 बीघा कुल रकबा 3–08 बीघा भूमि बनती है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 3, 5, 6, 9 व 16, 17 के [illegible] को सुना गया, तहसीलदार पचपदरा दिनांक 27.4.2021 व नीयब तहसीलदार कल्याणपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 14.7.2021 के अनुसार रास्ता आवागमन के लिए विकल्प संख्या – 2 अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु क.स 1 व 2 के खातेदार सहमती प्रकट की गई। हमनें पत्रावली का

उप खण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
बालोतरा (बाड़मेर)

गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार मौजा विरधाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 185 रकबा 100.06 बीघा भूमि मे आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर प्रस्तावित संख्या –2 के अनुसार खसरा नम्बर 290/91 रकबा 40–00 बीघा, 288/91 रकबा 81–10 बीघा भूमि में प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अ.ब.स. अनुसार अवलोकन किया गया । इसके अलावा प्रार्थीगण के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई । रास्ते की स्थिति रिपोर्ट की पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में दर्शाए गये अनुसार है। चुंकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण एव विप्रार्थी संख्या –01 के आपसी सहमती से प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर मौजा विरधाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 185 रकबा 100.06 बीघा भूमि में आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर प्रस्तावित संख्या –2 के अनुसार खसरा नम्बर 290/91 रकबा 40–00 बीघा, 288/91 रकबा 81–10 बीघा भूमि में नायब तहसीलदार कल्याणपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 14.7.2021 के अनुसार नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अ.ब.स. के अनुसार रकबा कुल रकबा 1–15 बीघा, 01–10 बीघा व 0–03 बीघा कुल रकबा 3–08 बीघा भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 20322/– प्रति बीघा निर्धारित है [illegible] अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा कुल रकबा 1–15 बीघा, 01–[illegible] बीघा व 0–03 बीघा कुल रकबा 3–08 बीघा कृषि की राशि [illegible]8 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि [illegible]पये 1,38,189.6/– रूपये विप्रार्थीगण खातेदारान से हिस्सानुसार अदा रोकड करे विप्रार्थीगण नहीं प्राप्त करने की स्थिति मे राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार कल्याणपुर के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Son
Date: 2022.09.17 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested

राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 14.07.2021 में संलग्न किया गया नक्शा इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

आदेश आज दिनांक 7.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:50:07 IST
Reason: SelfAttested